

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

आप. प्रक. क्र.-369/2014
संस्थित दिनांक-13.05.2014
फा. नं.-234503000292014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट(म.प्र.)

— — — — अभियोजन

// **विरुद्ध** //

कमलेश पिता सुमेरसिंह, उम्र-24 वर्ष, निवासी ग्राम उड़दना,
थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट म.प्र.।

— — — — — आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक 19.01.2018 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 27.01.2014 को रात्रि 08:00 बजे ग्राम उड़दना अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादिया सावित्रीबाई के पति होते हुए फरियादिया सावित्रीबाई को दहेज की मांग पूरी करने के लिए मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया।

02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 25.02.14 को पुलिस थाना परसवाड़ा में फरियादिया सावित्री ने इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी शादी वर्ष 2011 में आरोपी कमलेश से हुयी थी। शादी के बाद से उसका पति कमलेश छोटी-छोटी बातों पर मारपीट कर प्रताड़ित किया करता था, लेकिन वह ठीक हो जायेगा कहकर शांत रही। उसका पति शराब पीता एवं काम नहीं करता था। दिनांक 27.01.14 की रात्रि 08:00 बजे उसका पति शराब पीकर आया और मारपीट कर प्रताड़ित किया और कहा कि यहाँ से चली जा और उस पर शक करता था। वह अपनी माँ अंजनीबाई को मोबाईल करके बुलाई और उसके साथ अपने मायके सिंगबाघ

बैहर चली गई, जहाँ माता-पिता तथा अनिल बिसेन, डिलेन्द्र बिसेन, नरेन्द्र तुरकर को घटना बताई और उसके बाद रिपोर्ट करने थाना अपनी माँ अंजनीबाई तथा अन्य लोगों के साथ आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 46/14 दिनांक 03.04.14 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आरोपों को अस्वीकार किया है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 27.01.2014 को रात्रि 08:00 बजे ग्राम उड़दना अंतर्गत थाना परसवाड़ा में फरियादिया सावित्रीबाई के पति होते हुए फरियादिया सावित्रीबाई को दहेज की मांग पूरी करने के लिए मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष

05— फरियादी/आहत सावित्रीबाई अ.सा.03 ने कहा कि वह आरोपी को जानती है, जो उसका पति है। आरोपी से उसका विवाह वर्ष 2011 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब दो-तीन वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उन्हें उक्त बात बता दी थी।

आरोपी उससे मारपीट नहीं करता और ना ही उसके द्वारा की गई मारपीट से उसे कोई चोट आई थी। आरोपी द्वारा उसे कभी प्रताड़ित नहीं किया गया और ना ही उसने अपनी माँ तथा भाई को ऐसी कोई बात बताई थी।

06— फरियादी/आहत सावित्रीबाई अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— साक्षी जितेन्द्र यादव अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी कमलेश को पहचानता है एवं प्रार्थी सावित्रीबाई उसकी बहन है। उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से चार वर्ष पूर्व उसकी बहन सावित्री की शादी ग्राम उड़दना के कमलेश के साथ हुई थी। उसकी बहन ने बताया थी कि आरोपी कमलेश ने शक पर से उसके साथ मारपीट हाथ-मुक्कों से किया है। फिर उसके द्वारा समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना और उसकी बहन को आये दिन मारपीट करता रहता था। उसकी बहन सावित्री को उनके घर ग्राम सिंघबाघ ला लिये तब से वह ग्राम सिंघबाघ में रहती है। घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में दर्ज करवायी थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— साक्षी जितेन्द्र यादव अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आरोपी ने उसकी बहन को किस तारीख को मारपीट किया था और किस तारीख को उसकी बहन का फोन आया था वह नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी बहन का फोन उसके पास नहीं आया था उसकी मां के पास आया था, आरोपी ने उसके सामने उसकी बहन

सावित्रीबाई को मारपीट नहीं किया था, वह जब भी अपनी बहन के घर ग्राम उड़दना गया हूँ तो दोनों अच्छे से रहते थे, उसकी बहन जब उसके घर ग्राम सिंगबाघ आयी थी उसके एक महिना बाद रिपोर्ट दर्ज करवाये थे, जब उसकी बहन ग्राम सिंगबाघ आ गयी थी तब आरोपी उसके गांव के पंचों के साथ लेने आये थे तब वह और उसके परिवार के लोगों ने आरोपी को उड़दना छोड़कर उसके घर ग्राम सिंगबाघ में आकर रहने के लिए बोले थे, उनके कहने पर आरोपी ने उनके घर रहने के लिए मना कर दिया था, आरोपी द्वारा उनके घर में रहने से मना करने के बाद ही उन लोगों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाये थे, उसकी बहन ग्राम उड़दना में नहीं रहना चाहती और ग्राम सिंगबाघ में रहने के लिए आरोपी से लड़ाई झगड़ा करती रहती है।

09— साक्षी जितेन्द्र यादव अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी बहन को कभी मारपीट नहीं किया है। साक्षी के अनुसार उसके सामने मारपीट नहीं किया। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने इस घटना के संबंध में कभी पूछताछ नहीं किया है, उसकी बहन सावित्री और आरोपी कमलेश के बीच में विवाद के संबंध में वह पहली बार बयान दे रहा है।

10— साक्षी अंजनी अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी कमलेश को पहचानती है एवं प्रार्थी सावित्रीबाई उसकी लड़की है। उसके न्यायालयीन कथन से तीन वर्ष पूर्व उसकी लड़की की शादी ग्राम उड़दना के कमलेश के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसकी लड़की सावित्री के साथ आरोपी कमलेश मारपीट करता रहता था। उक्त बात उसकी लड़की ने फोन पर बतायी थी। समझाने के लिये ग्राम उड़दना में जाकर मिटींग बैठाकर चार पंचों के समक्ष समझाया गया तो नहीं माना। उसकी लड़की को और उसको गांव वालों ने अंदर करा देंगे की धमकी दिये थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दिया था।

11- साक्षी अंजनी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसे उसकी लड़की ने कब फोन करके आरोपी को मारपीट करने की बात बतायी थी उसे याद नहीं है। उसे उसकी लड़की ने फोन शादी के बाद सिर्फ एक बार किया है। उसकी लड़की के फोन आने के बाद जब वह उड़दना गयी थी तो वहाँ के मुकद्दम के यहाँ मिटींग हुई थी। पुलिस ने उससे जिस दिन रिपोर्ट किये थे, उसी दिन पूछताछ की थी। उसने पुलिस को बयान देते समय ग्राम उड़दना में मुकद्दम के यहाँ मिटींग होने वाली बात बतायी थी। यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान प्रडी-01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जब से उसकी लड़की उसके घर ग्राम सिंगबाघ आयी है, तब रिपोर्ट करने के बीच आरोपी कमलेश गांव के पंचों को लेकर आया था।

12- साक्षी अंजनी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी लड़की सावित्री आरोपी को ग्राम उड़दना छोड़कर ग्राम सिंगबाघ में रहने के लिए बोलती थी, इसी बात को लेकर उनके मध्य विवाद होता था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह भी आरोपी को ग्राम सिंगबाघ में आकर रहने के लिए दबाव देती है और इसलिए आरोपी पर दबाव बनाने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवायी है, आरोपी ने उसकी लड़की सावित्री को कभी भी मारपीट कर परेशान नहीं किया है, उसने उसकी लड़की को बहका कर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवायी है।

13- साक्षी अंजनी अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी लड़की सावित्रीबाई जब से ग्राम उड़दना से आयी है तब से ग्राम उड़दना स्वयं नहीं गयी है, उसकी लड़की जब आरोपी के घर से आयी है उसके एक महीना बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाये है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि ऐसी कोई घटना ही

नहीं हुई थी इसलिये एक महिना बाद रिपोर्ट दर्ज करवाये है, वह और उसके परिवारवालों ने ग्राम उड़दना छोड़ने के लिए दबाव दे रहे थे इसलिए वहाँ के पंचों ने डाटे थे। उसने पुलिस को बयान देते समय आरोपी के परिवार एवं ग्राम उड़दना के लोगों द्वारा धमकी देकर अंदर करवाने वाली बात बता दी थी, यदि उक्त बात उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी-01 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी लड़की को कभी भी मारपीट कर प्रताड़ित नहीं किया है तथा सावित्रीबाई उसकी लड़की है इसलिए वह आरोपी के विरुद्ध झूठे कथन कर रही है।

14— साक्षी रूपसिंह अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं प्रार्थिया को जानता है। प्रार्थिया उसकी पुत्री है। आरोपी से उसकी पुत्री का विवाह वर्ष 2011 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसने आरोपी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। करीब दो-तीन वर्ष पूर्व उसका आरोपी के साथ मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने आवेश में लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी, आरोपी उससे मारपीट नहीं करता और ना ही उसके द्वारा की गई मारपीट से उसे कोई चोट आई थी। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया और ना ही उसने अपनी माँ तथा भाई को ऐसी कोई बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसकी पुत्री का आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तथा वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है।

15— फरियादी सावित्रीबाई अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश

में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है। वह उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। साक्षी रूपचंद अ.सा.04 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी तथा वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। अन्य साक्षी घटना के प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं। फरियादी/आहत सावित्रीबाई अ.सा.03 घटना की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य समुचित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सावित्रीबाई के पति होते हुए फरियादिया सावित्रीबाई को दहेज की मांग पूरी करने के लिए मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्त कमलेश यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

17— प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 19.03.2014 से 20.03.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही /—
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

सही
(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट